कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) जिला जबलपुर

क्र./2025/मान्यता/ 625 — जबलपुर, दिनांक 25/01/2025

-: आदेश :-

1. **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया**के विषय में अनुचित फ़ीस वृद्धि एवं अन्य विषयों पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित ज़िला समिति द्वारा विचारण किया गया।

2. **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया**के प्रबंधन द्वारा विगत वर्षों में की गई फ़ीस वृद्धि की प्राप्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

CLASS	फीसवर्ष 2017-18	फीसवर्ष 2018-19	फीसवर्ष 2019-20	फीसवर्ष 2020-21	फीसवर्ष 2021-22	फीसवर्ष 2022-23	फीसवर्ष 2023-24	फीसवर्ष 2024-25
NUR	17100	18900	20340	17400	21000	25900	28450	30980
LKG	20100	21900	23700	19200	21540	29835	32800	35410
UKG	20100	21900	23700	19200	21540	30350	32800	35410
1ST	23430	25710	27630	19700	21670	32150	34530	37150
2ND	23430	25710	27630	19700	21670	32150	34530	37150
3RD	23430	25710	27630	19700	21670	32150	34530	37150
4TH	23430	25710	27630	19700	21670	32150	34530	37150
5TH	23430	25710	28710	19700	21670	32750	35130	37750
6TH	23430	25710	28710	19700	21670	32750	35130	37750
7TH	24030	26310	28710	19700	21670	32750	35130	37750
8TH	24030	26310	28710	19700	21670	32750	35130	37750
9TH	25590	28110	29910	19700	21670	34450	36830	39450
10TH	25590	28110	29910	19700	21670	34450	36830	39450
11TH MATHS/ SCIENCE	26700	29340	31380	21600	23760	36600	39210	42080
12TH MATHS/ SCIENCE	26700	29340	31380	21600	23760	36600	39210	42080
11TH COMM	26100	28680	30660	21720	23890	35900	38520	41400
12TH COMM	26100	28680	30660	21720	23890	35900	38520	41400

BEO

म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के तहत फ़ीस वृद्धि के लिए निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित है।

क्र.	अधि.2017 कीधारा	नियम 2020	संक्षिप्तविवरण
1	4(1), 4(3)	3(2) (दो) 3(2)(चार)	• अधिनियम प्रारंभ होनेके 90 दिवस के भीतर निजी विद्यालय पूर्ववर्ती तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करेगा। • निजी विद्यालय का प्रबंधनआगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्तावित फीस संरचना को दस्तावेजों एवं लेखों के साथ प्रस्तुत करेगा। • निजी विद्यालय प्रबंधनआगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फ़ीस संरचना प्रारूप-तीन में सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा। प्रारूप-तीन में फ़ीस की प्रत्येक मद में वृद्धि का औचित्य भी उल्लेखित करना आवश्यक होगा।
2	10(2)	3(4)	प्रस्तावित फ़ीस संरचना की जानकारी नियत समय-सीमा में प्रस्तुत ना करने की स्थिति में ज़िला समिति उक्त निजी विद्यालय परअर्थ दंड अधिरोपित कर सकेगी।
3	5(2)	-	उस वर्ष की वार्षिक प्राप्तियों कीअधिकता को बनाए रखने के लिए,जिसके कि लिए उसी वर्ष हेतु व्यय पर फीस प्रस्तावित है,ऐसी वार्षिक प्राप्तियों के 15 प्रतिशत केभीतर फीस में वृद्धिवि नियमित की जाएगी।
4	5(3)(क)	4(1)	निजी विद्यालय द्वारा विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत तक फ़ीस वृद्धिका प्रारूप-3 में प्रस्तुत प्रस्ताव ज़िला समिति को सम्यक् रूप से सूचित और मान्य होगा। ज़िला समिति द्वारा इस संबंध में कोई पृथक् से आदेश जारी करना अपेक्षित नहीं होगा।
5	5(3)(ख)	4(2)	विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक किंतु 15 प्रतिशत से कम फ़ीस वृद्धिप्रस्तावपर ज़िला समिति द्वारा 45 कार्य दिवस में निर्णय लिया जायेगा।
6	5(3)(ख) 5(3)(ग)	4(3)+4(6)	विगत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक फ़ीस वृद्धि प्रस्तावज़िला समिति द्वारा 07 कार्य दिवस में अभिमत के साथ राज्य समिति को प्रेषित किया जाएगा। राज्य समिति द्वारा 45 कार्य दिवस में निर्णय लिया जायेगा।
7	10(1)	9(7)	ज़िला समिति द्वारा नियम 4 के अधीन अनुज्ञात फ़ीस से अधिक संग्रहित फ़ीस छात्रों, पालकों या अभिभावकों को वापस करने संबंधी आदेश निजी विद्यालय प्रबंधन को दिया जा सकेगा।
8	10(6)	9(11)	यथा आदेशित राशि का भुगतान करने में असफल होने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली ज़िला कलेक्टर द्वारा बकाया भू राजस्व की भाँति की जा सकेगी।

4. गठित परीक्षण दल के प्रतिवेदन अनुसार जाँच में विद्यालय प्रबंधन द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के तहत निम्नलिखित अनियमितताएँ किया जाना सिद्ध पाया जाता है -

i. अधिनियम लागू होने के 90 दिवस के भीतर पूर्ववर्ती 3 वर्षों के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किये गए। यह कृत्य अधिनियम की धारा4(1) का उल्लंघन है। दिसंबर 2020 में जब नियम लागू हुआ तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी जो जिला कार्यालय में

जमा नहीं की गई।ऑडिट रिपोर्ट कोपोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना एवं जिला स्तर पर पूर्व की रिपोर्ट भी जमा न करना अधिनियम कीधारा 4(1) सह पठित नियम 3(1) (दो) का उल्लंघन है।

ii. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2024-25 में फीस संरचना की जानकारी प्रतिवर्ष फरवरी-मार्च माह में जिला शिक्षाअधिकारी कार्यालय में जमा की हैपरंतु प्रस्तावित फीस वृद्धि संरचना को दस्तावेजों एवं लेखा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया । यह अधिनियम की धारा 4(3) का उल्लंघन है।

iii. प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना की जानकारी प्ररूप- तीन में 2021-22 एवं बाद के वर्षों में प्रस्तुत नहीं की गई।अनुचित लाभ कमाने के प्रयोजन से फ़ीसवृद्धि के औचित्य को जान बूझकर पालकों, ज़िला समिति एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया। यह कृत्य अधिनियम की धारा 4(3) सहपठितनियम 3(2)(चार) का उल्लंघन है।

iv. 10 प्रतिशत तक फ़ीस वृद्धि की जानकारी पोर्टल परअपलोड नहीं की गई।फ़ीस वृद्धि केऔचित्य को जानबूझ कर छुपाया गयाऔर पालकों तथा ज़िला समिति एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया तथा फ़ीस की वसूली की गई।यह कृत्यनियम 3(2)(चार) एवं 4(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

v. ज़िलासमिति/राज्यसमिति की स्वीकृति प्राप्त किए बग़ैर विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक फ़ीस कीवृद्धि कर वसूली की गई।यह कृत्य अधिनियम की धारा 5(3)(ख) सहपठित नियम 4(2) एवंधारा 5(3)(ग) का उल्लंघन है जिस कारण से नियम 4(3) की कार्यवाही का पालन नहीं हुआ।

5 - निजी विद्यालयों की विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त शिकायतों के तारतम्य में कार्यालय जिलाशिक्षा अधिकारी, जिला जबलपुर के पत्र क्र./मान्यता/2024/3002/15 जबलपुर दिनांक 18/04/2024 द्वारा प्रबंधक / प्राचार्य सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया जबलपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिनांक - 05/08/2024 को कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब प्रस्तुत किए गए।

6 - फ़ीस वृद्धि के संबंध में विद्यालय प्रबंधन द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया कि -

i - 2020-21 और 2021-22 में हमने फीस में कोई बदलाव नहीं किया है और हमने केवल ट्यूशन फीस ली है,

ii - (प्रारूप 3 में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक का विवरण संलग्न है)।

iii- वर्ष2017-18 से वर्तमान तक की आय व्यय का लेखा (ऑडिट रिपोर्ट) संलग्न है।

iv -पूर्व सत्रों में फीस संरचना वरिष्ठ कार्यालय में जमा करने की पावत्ती / पोर्टल पर अपलोड करने सम्बन्धी जानकारी संलग्न है। (वर्ष 2020-21 में कोरोना के सक्रिय होने के कारण जिला शिक्षा कार्यालय से हमें किसी

प्रकार की पावती प्राप्त नही हुई थी एवं हमारे विद्यालय ने किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि नही की गई एवं सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 में केवल ट्यूशन शुल्क ही लिया गया था।

v - महोदय जी, निर्देशानुसार ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष की कुल आय में 15% से अधिक सरप्लस होने पर आप फीस नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जहां तक हमारे स्कूल की बात है,तो हमें फीस आखिरी परीक्षा से पहले यानी फरवरी, मार्च के महीने में मिल जाती है। पहली अप्रैल से ऑडिटिंग होनी होती है ,

7- विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के परीक्षण उपरांत बिन्दुवार तथ्य निम्नानुसार पाए गए -

i. 2020-21 और 2021-22 में हमने फीस में कोई बदलाव नहीं किया है और हमने केवल ट्यूशन फीस ली है,यह कथन मान्य योग्य है

ii. विद्यालय प्रबंधक द्वारा सत्र 2017-18 से सत्र 2022-23 की जो ऑडिट रिपोर्ट जांच दल को उपलब्ध कराई गई है परन्तु ऑडिट रिपोर्ट जिला समिति को नियत समय पर जमा नहीं की गई जिस कारण म. प्र.निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के **अध्याय** -3 की धारा 5(2)में उल्लेखित प्रावधान अनुसार विद्यालय द्वारा फीस वृद्धि किया जाना लागू नहीं होता।

iii. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2024-25 में फीस संरचना की जानकारी प्रतिवर्ष फरवरी -मार्च माह में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की है परंतु प्रस्तावित फीस वृद्धि संरचना को दस्तावेजों एवं लेखा के साथ समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया । यह अधिनियम की धारा 4(3) का उल्लंघन है ।

प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना की जानकारी प्ररूप–तीन में 2021-22 एवं बाद के वर्षों में प्रस्तुत नहीं की गई। यह कृत्य अधिनियम की धारा 4(3) सहपठित नियम 3(2) (चार) का उल्लंघन है।

iv. बिन्दु क्रमांक 6 (v) में विद्यालय प्रबन्धन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 5(2) से संबंधित है अतः जिला समिति से मान्य योग्य नहीं है।

8 -कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) जिला जबलपुर के सूचना पत्र क्रमांक / मान्यता / 2024 / 7375 जबलपुर दिनांक 09/09/2024 द्वारा जांच में पाये गये तथ्यों की निम्न बिंदुवार जानकारी विद्यालय प्रबंधन को उपलब्ध करायी गई :-

I. ऑडिट रिपोर्ट में अर्जित आधिक्य

II. वर्ष 2017-18 की तुलना में कक्षावार फीस वृद्धि प्रतिशत ।

III. प्राप्त की गई अतिरिक्त फीस की राशि ।

IV. अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 की जिन धाराओं और नियमों का पालन नहीं हुआ उसका सम्पूर्ण विवरण ।

V. जांच दल द्वारा प्राप्त स्कूल बैग और पुस्तकों से संबंधित संपूर्ण जानकारी ।

इस सबंध में उक्त बिन्दुओं का जवाब खुली सुनवाई में अथवा पत्र प्राप्ति से तीन दिवस के अंदर अपनी आपत्तियों के संबंध में सप्रमाण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था।

9 कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला समिति द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) अधिनियम 2017 एवं सहपठित नियम 2020 के अंतर्गत दिनांक 10/09/2024 की खुली सुनवाई में **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** विद्यालय प्रबंधन को यह अवसर प्रदान किया गया कि विद्यालय से संबंधित जांच में पाए गए तथ्यों के संबंध में अपना पक्ष सप्रमाण रख सकते हैं समक्षमें हुई खुली सुनवाई दिनांक 10.9.2024 का विवरण निम्नानुसार है,जिसमें विद्यालय प्रबंधन को जांच में प्राप्त सभी तथ्यों को विस्तार से बताया गया तथा कहा गया कि इसका उत्तर आप अभी या कुछ समय ले कर दे सकते हैं:-

i. जांच में प्राप्त तथ्यों को पी पी टी के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताया गया, जिसमें मुख्य रूप से निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 की जिन धाराओं और नियमों का पालन नहीं हुआ उनके आधार पर उत्पन्न विसंगतियों का उल्लेख किया गया।
ii. इसमें अधिक फीस वसूली,बस्ते के वजन में वृद्धि,लगातार 6 वर्षों में पुस्तकें परिवर्तित करने और ISBN मिलान नहीं होने वाली पुस्तकों की संख्या अधिक होने पर चर्चा की गई।
iii. **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** जबलपुर प्रबंधन की ओर से प्राचार्य ब्रदर शाजी जोसफ प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
iv. विद्यालय प्रबंधन प्रतिनिधि द्वाराअपना लिखित जवाब एक सप्ताह में देने काआश्वासन दिया गया।

10- **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** प्रबंधन द्वारा दिनांक 25.09.2024 कोअपना उत्तर प्रस्तुत किया गया।

11- फ़ीस वृद्धि के संबंध में **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** जबलपुर प्रबंधक द्वारा दिनांक 25.09.2024 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है -

We are in receipt of your above captioned notice is sued under provisions of the M.P. Niji Vidyalaya (Fees tatha Sambandhit Vishayon ka Viniyam) Adhiniyam, 2017 along with 2020 Rules framed there under wherein we have been asked to furnish our response to various aspects contained there in. Following is a para-wise reply to your notice.

1.1- REGARDING AUDITREPORT

The figures quoted in para 1 of the notice with regard to surplus are completely incorrect and do not make a fair assessment of the financial statements of the school. With regard to the figures of surplus shown in para one of the aforesaid notice, please consider that the notice does not take into account consider able amount of capital expenditure made by the school within the school itself. We are therefore submitting along with our reply a summary of the income and expenditure statement of the school from 2017—18 to 2023—24 in

corporating there in both revenue and capital expenditure made exclusively for educational purpose from the fees collected from the students. Please also consider the fact that the school is under taking construction for expansion of facilities for the students. For this the funds required to be collected can only be from the fees. It is for this reason that the surplus for the academic session2022-23 and 2023-24 is marginally higher than 15%. How ever, the entire expenditure, of the surplus is for educational purpose, only and no funds are being used for any other purpose. Please also consider the fact that the school has undergone deficit for of 2017—18,2018—19and2019-20 as per details submitted by us. Thus, adequate reserves are required to be built, so that best facilities could be provided to the students.

2. <u>Penns2,3- REGARDING INCREMENT IN FEES FROM 2018-19 to 2024-25 AND REFUND THERE OF-</u>

In the chart provided with this paragraph, a percentage-wise hi kein fee through the years has been provided. The increase in fee in this chart has been incrementally rising reaching to a high of 81% in 2024-25. This computation is completely incorrect and without any factual basis whatsoever. From a perusal, it has been presumed by us that the increment has been calculated by keeping 2017-18 as the base year for calculating the increase for all subsequent years. We dispute this approach for computing the increment over a year as the increment ought to be calculated on the basis of fee of the previous year as per the 2017 Act. If the reasonable approach of calculating increments by comparing to the previous year is seen, then the increment would certainly be within the prescribed limit of 10% or marginally above it for all years. We are filing along with this reply a chart prepared by us which provides the year-wise increment in fee by the school. In this regard, reference is also made to order passed by the Honorable High Court of Madhya Pradesh in W.A. 1778/ 2024, order passed on the basis of this premise have been stayed by order dated 13.08.2024. On this basis, the refund order is entirely illegal and liable to be withdrawn. (Copy of order dated 13.08.2024 is annexed here with).

3. <u>Penn4 -</u> Regarding weight of the school bag –

With regard to the contents of the notice regarding weight of the school bag, we submit that the committee which visited the school put all the textbooks of all the subjects and all the notebooks in a single bag and took the weight of that bag. It is on that basis that the weight of the bag has been shown in the notice. Please note that all the students do not carry all the textbooks and note books of all the subject on each day. The school runs on the basis of a time

table and different subjects are taught on different days of the week, with the only exception that some subjects are taken with greater frequency than others. Therefore the students are required to bring only the textbooks and notebooks of the subjects for which periods are shown in the timetable for the day. The weight of the bag for each day would vary de pen ding upon the time table of the day. Therefore, the standardization of the weight of the bag as contained in the notice for the whole week is incorrect. We submit that we have taken the weight of the bag for each day based on the time table by putting the textbooks and notebooks of that particular day in the bag and have rcorded the weight of the school bag. In this regard, a table is being attached. The weight of the bag for each class has been found to be well within limits prescribed. However, the committee which visited the school has committed a serious fault in taking the weight of the bag which is seriously disputed by us.

P*6 -REGARDING ALLEGED DISCREPANCY IN ISBN NUMBERS -

With regard to the allegation regarding ISBN not matching, we submit that the school has not been provided details of the specific for which allegation has been made with regard to the ISBN not matching. Unless the school is informed specifically as to for which book it is required to verify the ISBN, it would be difficult for the school to respond to any query as contained in para 5 of the notice. Please note that despite our specific request to give us details with regard to the textbooks for which ISBN is not matching, no response has been received so far. Regardless of this, we submit that the printing of the ISBN number on the textbook has nothing to do with the management of the school. The school prescribes textbooks on the basis of the authors, titles and publishers. The books we are using are Genuine and are of the publishers whose names are mentioned in the text books.

With regard to any query regarding ISBN, it would be better to ask the publisher rather than the school management. However, so far as we are concerned, we have verified the content of the textbook we have prescribed, and the content of the text books are genuine.

Therefore, we most respectfully submit that our school is following some of the best practices in education. There is no illegality committed by us. Hence, the proceedings against us may kindly be closed.

12- फ़ीस वृद्धि के संबंध में **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** जबलपुर प्रबंधन को जिला समिति द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक / 7375 दिनांक 09/09/2024 पर स्कूल प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर दिनांक 25.09.2024 का बिन्दुवार परीक्षण किया गया, परीक्षण में प्राप्त तथ्य निम्न हैं:-

i. विद्यालय प्रबंधन के उत्तर के बिन्दु क्रमांक PARA 1- REGARDING AUDIT REPORT में दिया गया तर्क मान्य योग्य नहीं है क्योंकि दिनांक 25.1.2018 में अधिनियम लागू हुआ जिसमें धारा 4(1) के अनुसार अधिनियम लागू होने के 90 दिन के अंदर 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी जिला समिति को दिया जाना था जो नहीं दी गई तथा दिसंबर 2020 में जब नियम लागू हुआ तो ऑनलाइन पोर्टल 4(1) सहपठितनियम 3(1) (दो) का उल्लंघन है।, इस कारण धारा 5 लागू नहीं होती है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा वर्ष 2017-18से 2019-20 तक की ऑडिट रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को दिनांक 27.06.2024 को जमा की गई तथा 2020-21 से 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट एक साथ 07.06.2024 को अपलोड की गई एवं 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 को पोर्टल पर अपलोड की गई।

ii. विद्यालय प्रबंधन के उत्तर के बिन्दु क्रमांक PARA 2 - 3 REGARDING INCREMENT IN FEES FROM 2018-19 TO 2024-25AND REFUND में दिया गया तर्क मान्य योग्य नहीं है क्योंकि शैक्षणिकवर्ष 2017-18 से 2024-25 में फीस संरचना की जानकारी प्रति वर्ष फरवरी -मार्च माह में जिला शिक्षाअधिकारी कार्यालय में जमा की है परंतु प्रस्तावित फीस वृद्धि संरचना को दस्तावेजों एवं लेखा के साथ समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया।यहअधिनियम की धारा 4(3) का उल्लंघन है।

प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना की जानकारी प्ररूप-तीन में2020-21 से 2022-23 तक की प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना एक साथ 07.06.2024 को अपलोड की गई एवं 2023-24 की प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना दिनांक 20.06.2024 को पोर्टल पर अपलोड की गई एवं बाद के वर्षों में प्रस्तुत नहीं की गई।यहकृत्यअधिनियम कीधारा 4(3) सहपठितनियम 3(2)(चार) का उल्लंघन है।

iii. **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** जबलपुर विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपने पत्र में दर्शाये गए माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के WA No 1778/2024 आदेश को संलग्न किया है जो कि सेंट अलॉयसियस सीनियर सेकंडेरी स्कूल पोलिपाथर से संबंधित है। अत: तर्क अमान्य योग्य है।

उक्त बिंदुओं के आधार पर पाया गया है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा फ़ीस वृद्धि के संबंध में दिया गया जवाब मान्य योग्य नहीं है।

13- विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के संदर्भ में ज़िला समिति द्वारा विचारण किया गया -

i. दिनांक 25.1.2018 में अधिनियम लागू हुआ जिसमें धारा 4(1) के अनुसार अधिनियम लागू होने के 90 दिन के अंदर 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी जिला समिति को दिया जाना था जो नहीं दी गई तथा दिसंबर 2020 में जब नियम लागू हुआ तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी जो जिला कार्यालय में जमा नहीं की गई।ऑडिट रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना एवं जिला स्तर पर पूर्व की रिपोर्ट भी जमा न करना अधिनियम की धारा 4(1) सहपठितनियम 3(1) (दो) का उल्लंघन है।

ii. विद्यालय प्रबंधन द्वारा 2020-21 से 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट एक साथ 07.06.2024 को अपलोड की गई एवं 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 को पोर्टल पर अपलोड की गई।

iii. म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 4(3) के अनुसार फीस संरचना को दस्तावेजों एवं लेखों के साथ प्रस्तुत करना तथा सहपठित म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 3(2)(चार) के तहत मदवार फ़ीस वृद्धि की औचित्य सहित जानकारी प्रारूप-3 में प्रति वर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त जानकारी संसूचित होने के उपरांत ही प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि को विहित प्रक्रिया अनुसार मान्य किया जाना अपेक्षित है।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रारूप-3 में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट एक साथ 07.06.2024 को अपलोड की गई एवं 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 को पोर्टल पर अपलोड की गई।

iv. विद्यालय प्रबंधक द्वारा वर्ष 2017-18 से 2023-24 की जो ऑडिट रिपोर्ट जांच दल को उपलब्ध कराई गई है इस केअवलोकन उपरांत ज्ञात होता है कि उनके द्वारा निम्नानुसार आधिक्य अर्जित किया गया है

2017-18 में 17.11%	2020-21 में DEFICITE	2023-24 में 22.25%
2018-19 में 13.53%	2021-22 में 5.56%	
2019-20 में 12.498%	2022-23 में 26.128%	

परन्तुऑडिट रिपोर्ट जिला समिति को नियत समय पर जमा नहीं की गई तथा विद्यालय प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21से 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट एक साथ दिनांक 07.06.2024 को पोर्टल पर अपलोड की गई हैं तथा 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 को पोर्टल पर अपलोड की गई।

जिस कारण म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के अध्याय 3 की धारा 5(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार विद्यालय द्वारा फीस वृद्धि किया जाना लागू नहीं होता ।

v. **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** विद्यालय प्रबंधन द्वारा जिला शिक्षाअधिकारी कार्यालय में जमा किए गएअभिलेखों की सत्रवार जानकारी निम्नानुसार है :-

	अभिलेख जो जमा किए गए	जमा कराने का दिनांक	अभिलेख जो निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं किए गए
2017-18	विद्यार्थियों से ली जा रही फीसकीजानकारी	NOT SUBMITTED	ऑडिट रिपोर्ट फीस वृद्धि संरचना तथा फीस वृद्धि के औचित्य का प्रस्ताव ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई।
2018-19	विद्यार्थियों से ली जा रही फीस की जानकारी,पुस्तकों की सूची एवं पुस्तक विक्रेताओं की सूची	NOT SUBMITTED	
2019-20	विद्यार्थियों से ली जार ही फीस की जानकारी, पुस्तकों की सूची, पुस्तक एवं गणवेश विक्रेताओं कीसूची	NOT SUBMITTED	

2020-21	Covid Period	17/03/2020	Covid Period
2021-22	विद्यार्थियों से ली जा रही फीस की जानकारी, पुस्तकों की सूची, पुस्तक एवं गणवेश विक्रेताओं कीसू ची	NOT SUBMITTED	ऑडिट रिपोर्ट फीस वृद्धि संरचना प्ररूप -3 में तथा फीस वृद्धि केऔचित्य का प्रस्ताव
2022-23		25/03/2022	
2023-24		29/02/2024	
2024-25		29/02/2024	

vi. **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** प्रबंधन द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2024-25 में फीस संरचना की जानकारी प्रति वर्ष फरवरी -मार्च माह में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की है परंतु प्रस्तावित फीस वृद्धि संरचना को दस्तावेजों एवं लेखा के साथ समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यहअधिनियम की धारा 4(3) का उल्लंघन है।

प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना की जानकारी प्ररूप – तीन में 2021 - 22 एवं बाद के वर्षों में प्रस्तुत नहीं की गई। यह कृत्य अधिनियम की धारा 4(3) सहपठित नियम 3(2)(चार) का उल्लंघन है।

प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना की जानकारी सम्यक रूप से संसूचित नहीं की गई, इसके संबंध में विद्यालय प्रबंधन ने कोई जानकारी नहीं दी है। जिन सत्रों में शुल्क वृद्धि की गई है उन सत्रों की सम्यक रूप से जानकारी नहीं दी गईहै। स्पष्ट है कि विद्यालय शुल्क वृद्धि को छुपाना चाहता है। प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना संबंधी आज्ञापक जानकारी न तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी गई है और न ही 10% से अधिक की वृद्धि की अनुमति सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त की गई है।

vii. सतत कई वर्षों तक ज़ानकारी नहीं प्रस्तुत करना क़तई स्वीकार योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि फ़ीस वृद्धि कर अनुचित लाभ कमाने के प्रयोजन से विद्यालय प्रबंधन द्वारा जानबूझकर उक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

viii. **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** के प्रबंधन द्वारा कभी भी उक्त आज्ञापक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। नियत समय-सीमा के पश्चात जानकारी प्रस्तुत करने पर अर्थदंड का प्रावधान है, पर यह व्यवस्था अनिश्चितकाल तक के विलंब के लिए स्वाभाविक तौर पर नहीं है। कतिपय दिवस/सप्ताह का विलंब इस नियम की परिधि में विचारणीय अवश्य हो सकता है, पर सतत कई वर्षों तक जानकारी नहीं देना इस नियम की परिधि में नहीं आता है। यह सिद्ध है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा जान बूझकर उक्त आज्ञापक प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

ix. अधिनियम के प्रभावशील होने के दिनांक 25/01/2018 से स्कूल संचालक द्वारा फीस वृद्धि के औचित्य का उल्लेख करते हुए अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार पूर्ववर्ती 3 वर्षों की न तो ऑडिट रिपोर्ट जमा की गई और न ही धारा 4(3) के अनुसार प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी जमा की गई, जिससे धारा 5(2) का पालन नहीं हुआ। चूंकि प्रबंधन द्वारा अधिनियम लागू होने के दिनांक से स्कूल संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने तक किसी भी वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट और प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी सम्यक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अधिनियम लागू होने के दिनांक से पश्चात वर्ती सत्रों में की गई समस्त फीस वृद्धि अवैधानिक है। अधिनियम लागू होने के दिनांक के पूर्व शैक्षणिक सत्र 2017-18 में निर्धारित फीस को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस वृद्धि की गणना का आधार माना जायेगा।

14- अधिनियम लागू होने के दिनांक से पश्चातवर्ती सत्रों में की गई समस्त फीस वृद्धि वैधानिक नहीं होने के कारण शैक्षणिक सत्र 2017-18 में निर्धारित फीस कोआगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस वृद्धि की गणना काआधार माना जाने पर वसूल की गई अवैधानिक फीस वृद्धि की प्रतिशत स्थिति निम्नानुसार है -

CLASS	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
NUR	10.53	18.95	1.75	22.81	51.46	66.37	81.17
LKG	8.96	1791	-4.48	7.16	48.43	63.18	76.17
UKG	8.96	17.91	-4.48	7.16	51.00	63.18	76.17
1ST	9.73	17.93	-15.92	-7.51	37.22	47.38	58.56
2ND	9.73	17.93	-15.92	-7.51	37.22	47.38	58.56
3RD	9.73	17.93	-15.92	-7.51	37.22	47.38	58.56
4TH	9.73	17.93	-15.92	-7.51	37.22	47.38	58.56
5TH	9.73	22.54	-15.92	-7.51	39.78	49.94	61.12
6TH	9.73	22.54	-15.92	-7.51	39.78	49.94	61.12
7TH	9.49	19.48	-18.02	-9.82	36.29	46.19	57.10
8TH	9.49	19.48	-18.02	-9.82	36.29	46.19	57.10
9 TH	9.85	16.88	-23.02	-15.32	34.62	43.92	54.16
10TH	9.85	16.88	-23.02	-15.32	34.62	43.92	54.16
11TH MATHS /SCIENCE	9.89	17.53	-19.10	-11.01	37.08	46.85	57.60
11 COMM	9.89	17.47	-16.78	-8.47	37.55	47.59	58.62
12TH MATHS/ SCIENCE	9.89	17.53	-19.10	-11.01	37.08	46.85	57.60
12TH COMM	9.89	17.47	-16.78	-8.47	37.55	47.59	58.62
TOTAL	**9.71**	**18.49**	**-15.09**	**-5.72**	**39.44**	**50.07**	**61.47**

15- शैक्षणिक सत्र 2017-18 की तुलना में अवैधानिक रूप वसूल की गई राशि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल छात्र संख्या	अवैधानिक रूप से वसूल की गई कुल फ़ीस	अधिनियम 2017 की धारायें एवं नियम 2020 के नियम जिनका पालन नहीं हुआ
1	2018-19	3547	79,25,400	धारा4(1),4(3)
2	2019-20	3674	1,58,94,000	धारा4(1),4(3),5(3)(ख)
3	2020-21	3833	-	धारा4(1),4(3),5(3)(ख)
4	2021-22	3932	-	धारा4(1)नियम3(1)(दो),3(2)(चार)
5	2022-23	4062	3,96,24,930	धारा4(1)नियम3(1)(दो),3(2)(चार) धारा5(2)
6	2023-24	4092	4,99,10,140	धारा4(1)नियम3(1)(दो),3(2)(चार) धारा5(2)
7	2024-25	4100	6,08,18,300	धारा4(1)नियम3(1)(दो),3(2)(चार) धारा5(2)
योग		27,240	17,41,72,770	सत्रह करोड़ इक्तालिस लाख बहत्तर हजार सात सौ सत्तर मात्र

16- फ़ीस वृद्धि के संबंध में विद्यालय प्रबंधन द्वारा वर्णित अनियमितताएँ कारित कर उल्लेखित विवरण अनुसार नियमों का उल्लंघन किया जाना सिद्ध है। अतः ज़िला समिति द्वारा सर्व सम्मति से म. प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017की धारा 10(1) सहपठित नियम 9(7) एवं नियम 9(8) के तहत शैक्षणिक सत्र 2017-18 के पश्चात की गई समस्त फ़ीस वृद्धि को अमान्य करने का विनिश्चय किया गया है।

17- यह आदेशित किया जाता है कि बिन्दु क्रमांक –15 में अंकित अनुसार विद्यालय प्रबंधन द्वारा अनुज्ञात फ़ीस से अधिक संग्रहित फ़ीस को छात्र-छात्राओं/अभिभावकों को (जिनसे कि फ़ीस संग्रहित की गई है) को 30 दिवस की समयावधि में वापस करें।

18 - जिला समिति के विनिश्चय के अनुसार 2018-19 से 2024-25तक की गयी शुल्क वृद्धि अमान्य की गयी हैं अतः **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** की वर्तमान सत्र की शुल्क निम्न तालिका अनुसार रहेगी –

कक्षा	शुल्क	कक्षा	शुल्क
NUR	17100	8TH	24030
LKG	20100	9TH	25590
UKG	20100	10TH	25590
1ST	23430	11TH MATHS/SCIENCE	26700
2ND	23430	12TH MATHS / SCIENCE	26700
3RD	23430	11TH COMM	26100
4TH	23430	12TH COMM	26100
5TH	23430		
6TH	23430		
7TH	24030		

19- समिति के विनिश्चय के अनुक्रम में प्रबन्धक / प्राचार्य **सेंट. गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** को आदेशित किया जाता हैं कि बिन्दु क्रमांक 15 के अनुसार प्राप्त की गयी अनधिकृत शुल्क आदेश प्राप्ति से 30 दिवस में संबंधित छात्र-छात्राओं / अभिभावकों को उसी रीति से वापिस किया जाये जिस रीति से शुल्क प्राप्त की गयी हैं।

20- मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत पाई गई अनियमितताओं के कारण रुपए दो लाख की शास्ति विद्यालय प्रबंधन पर अधिरोपित की जाती है।

अतः विद्यालय प्रबधन को निर्देशित किया जाता है कि आप शास्ति की राशि को निम्न बैंक खाते में आदेश दिनांक से तीस दिवस के अंदर ऑनलाइन जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के कार्यालय में जमा कराना सुनिचित करें।

क्र.	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	आई एफ एस सी कोड	खाता धारक का नाम
01	HDFC BANK M.P NAGAR BHOPAL	50200059579785	HDFC0001257	COMMISSIONAR PUBLIC INSTRUCTION M.P.

21 - जांच दल द्वारा पाठ्य पुस्तकों, स्कूल बैग के वजन, गणवेश एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित जांच की गई है जिस पर जिला समिति द्वारा बाद में परीक्षण हेतु विचार किया जाएगा।

22 - आदेश पालन पश्चात् कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर में प्रस्तुत किया जावें।

23 - म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017की धारा 11(1) एवं सहपठित नियम 11 के अनुक्रम में **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** राज्य समिति के समक्ष आदेश प्राप्ति के दिनांकसे 15 कार्य दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति द्वारा अनुमोदित)

(घनश्यामसोनी)
जिला शिक्षा अधिकारी
सदस्य सचिव जिला समिति
जिला-जबलपुर

पृष्ठांकन क्र. /2024/मान्यता/ 626

जबलपुर, दिनांक 24/01/2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संभाग-आयुक्त(राजस्व),संभाग-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर,जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अपर कलेक्टर(शहर),जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी,जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. सम्बन्धित प्रबंधक/प्राचार्य **सेंट.गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल रांझी खम्हरिया** जबलपुर की ओर पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
सदस्य सचिव जिला समिति
जिला-जबलपुर